निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन साक्षरता क्लब

संदर्भ मार्गदर्शिका

कक्षा 11 के लिए

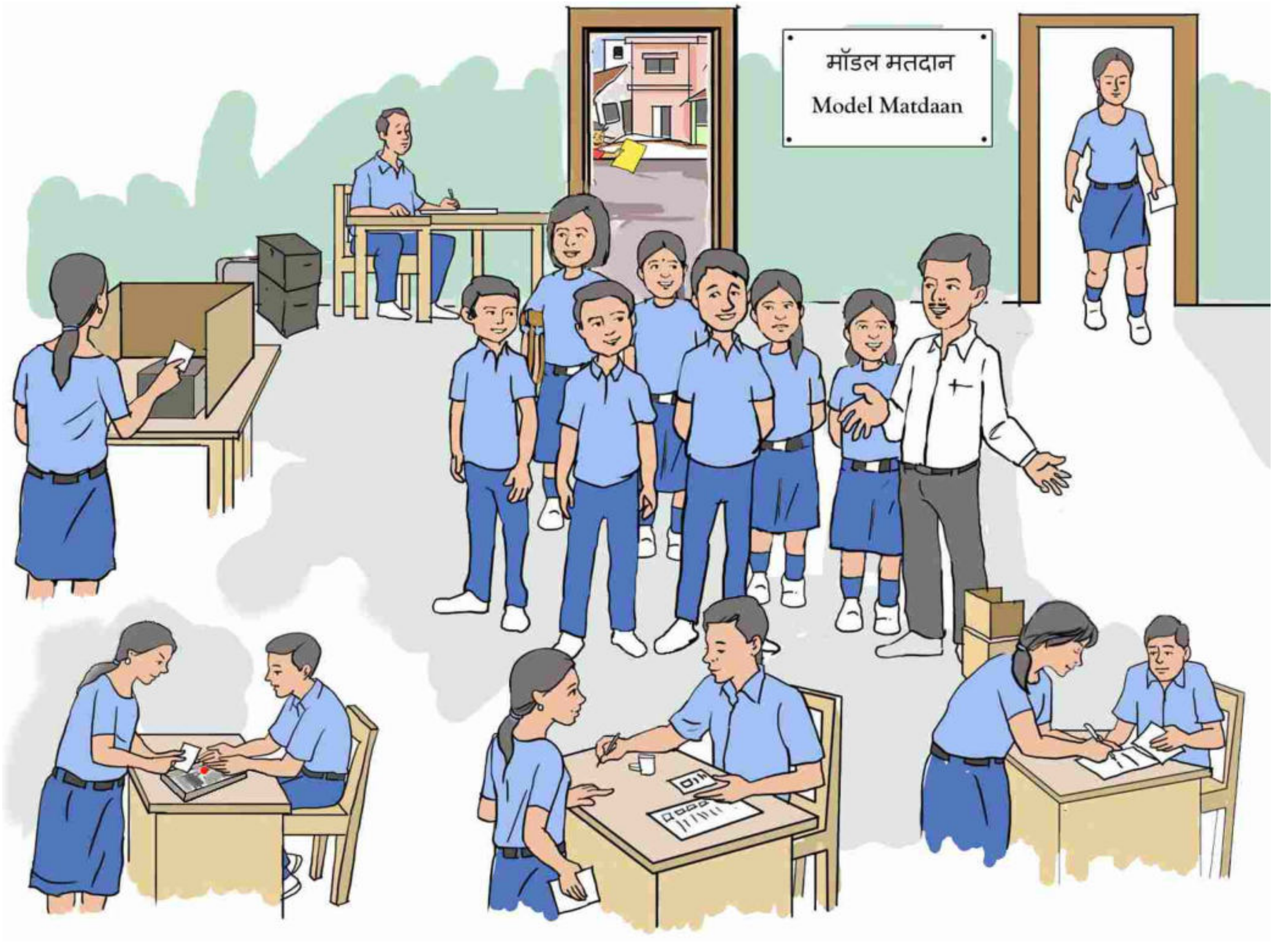

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन साक्षरता क्लब
संदर्भ मार्गदर्शिका
कक्षा 11 के लिए

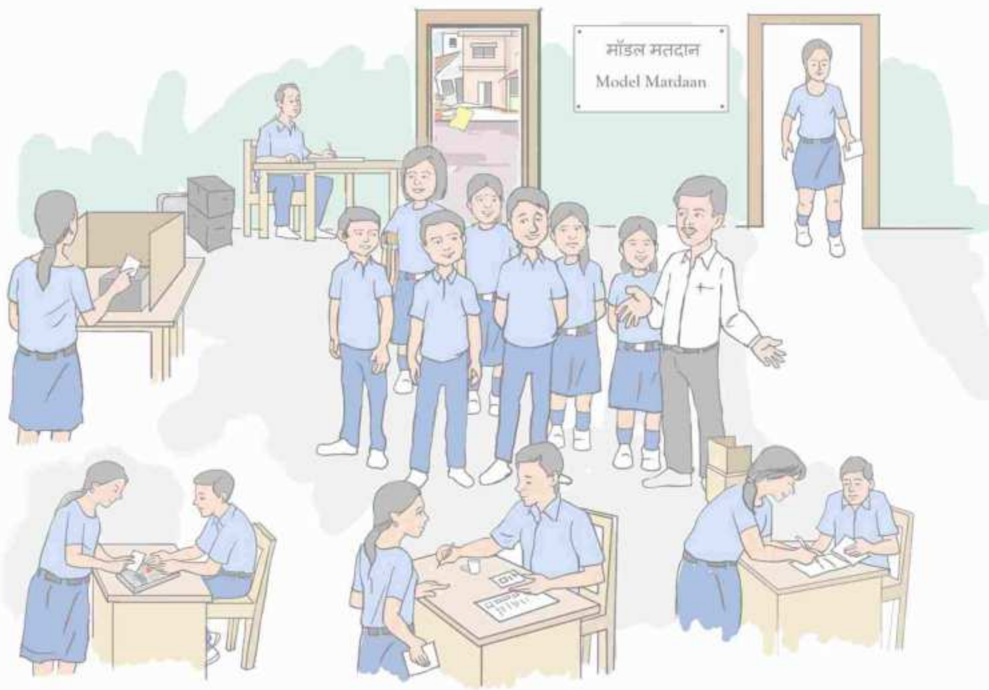

प्रस्तावना

इस संदर्भ मार्गदर्शिका में उन सभी गतिविधियों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा कक्षा 11 के लिए आयोजित कराई जानी हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16–17 वर्ष के छात्रों/छात्राओं को निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित संदेश देने के लिए ये गतिविधियाँ बहुत सावधानीपूर्वक बनाई गई हैं। संदर्भ मार्गदर्शिका में गतिविधियों के सम्पादन के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इसलिए यह मार्गदर्शिका निर्वाचन साक्षरता क्लब के संयोजकों के लिए निर्देश पुस्तिका अथवा संदर्शिका के रूप में सहायक सिद्ध होगी।

क्लब के संयोजक और नोडल अधिकारी संदर्भ मार्गदर्शिका से सभी या अधिकांश गतिविधियों को संचालित करेंगे। वे इन गतिविधियों को इस तरह संचालित करेंगे कि निर्वाचन साक्षरता का संदेश उनके सभी छात्रों/छात्राओं तक पहुँच सके। फिर भी इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि शैक्षणिक सत्र के अंत तक कक्षा 11 के छात्र/छात्राएँ इतनी जानकारी प्राप्त कर लें–

1. छात्र/छात्राओं को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया से पूरी तरह अवगत होना चाहिए।
2. छात्र/छात्राओं को मतदान की प्रक्रिया एवं मतदान केन्द्र के अंदर के परिदृश्य से पूरी तरह परिचित होना चाहिए।
3. छात्र/छात्राओं को उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया, आचार संहिता और उम्मीदवार की अपात्रता के आधारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
4. छात्रों को ई.वी.एम. तथा वी.वी.पी.ए.टी. के बारे में एवं इन मशीनों के माध्यम से सम्पन्न होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया की प्रामाणिकता के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
5. छात्रों को वोट की गोपनीयता के महत्त्व को समझना चाहिए।

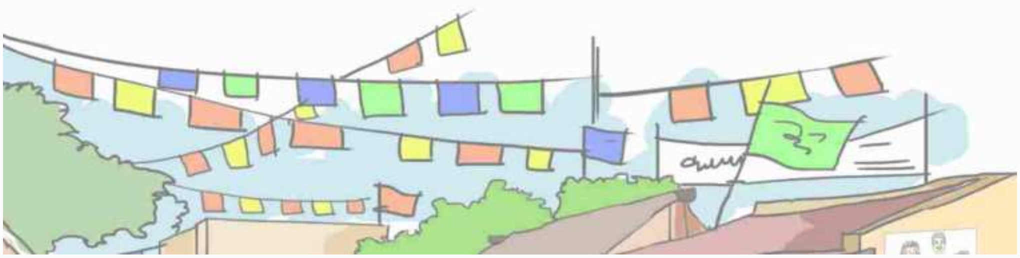

विषय सूची

1. परिचय 05
2. उद्‌देश्य 05
3. स्वरूप 05
4. सदस्य एवं कार्यकारिणी समिति 06
5. नोडल अधिकारी एवं उनके दायित्त्व 06
6. संयोजक 07
7. आयोजन–स्थल 07
8. निर्वाचन साक्षरता क्लब के सत्र 07
9. प्रस्तावित गतिविधियों का क्रम 07
10. गतिविधियाँ 08
11. सत्रों का स्वरूप 08
12. दिव्यांग विद्यार्थियों का समावेश 08
13. निर्देशों सहित गतिविधियाँ 09
    i) चुनाव पत्रिका 10
    ii) निर्वाचित्र–फिल्म प्रदर्शन 12
    iii) कार्ड का खेल–जनता के प्रतिनिधि बनें 15
    iv) मॉडल मतदान–कृत्रिम चुनाव 17
    v) फिल्म प्रदर्शन 25
    vi) चुनाव यंत्र और मतपत्र का निर्माण 27
    vii) राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए गतिविधि– वाद–विवाद प्रतियोगितया...... 31
14. गतिविधियों के लिए संसाधन 32
15. संक्षिप्त नाम और शब्दावली 49

Published in 2018 by the Election Commission of India
Nirvahcan Sadan, Ashoka Road, New Delhi, 110001
Re Print- 2019

Text, Photographs and Illustrations Copyright © Election Commission of India

हर वोट महत्वपूर्ण है

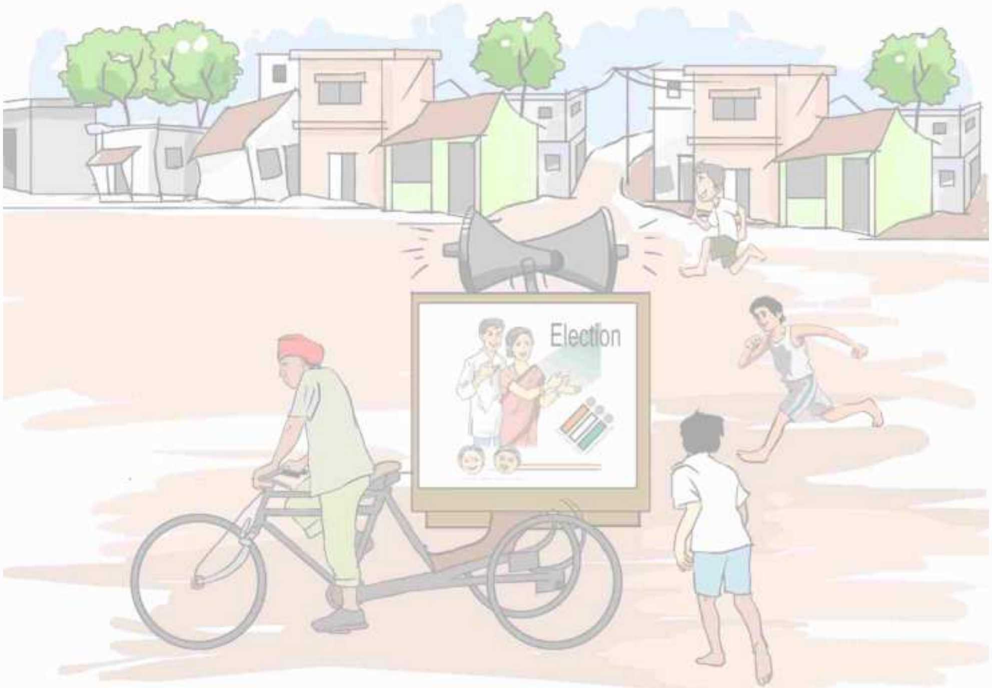
Election

1. परिचय

हमारे देश में निर्वाचन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब बनाए जा रहे हैं। यह क्लब हर उम्र के भारतीय नागरिकों को रोचक और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से निर्वाचन साक्षरता देने का काम करेंगे। साक्षरता देने का तरीका ऐसा होगा कि लोग व्यावहारिक रूप से अनुभव प्राप्त कर सकें। यह सारा काम गैर राजनीतिक तरीके से तटस्थ रहकर किया जाएगा।

निर्वाचन साक्षरता क्लब देश भर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष रूप से बनाए जा रहे हैं। इनका लक्ष्य 14–17 वर्ष के भावी मतदाता हैं, जो 9 से 12 तक की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। इन्हें निर्वाचन साक्षरता क्लब– भविष्य के मतदाता कहा जाएगा।

कक्षा 9, 10, 11 व 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी क्लब के सदस्य होंगे। नीचे के खण्डों में विस्तार से बताया गया है कि निर्वाचन साक्षरता क्लब कैसे बनाए जाएँगे, इसके प्रतिभागी और संयोजक कौन होंगे, ये कहाँ और कैसे संचालित किए जाएँगे और इनमें कौन सी गतिविधियाँ संचालित होंगी।

2. उद्देश्य

निर्वाचन साक्षरता क्लब के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

I. लक्ष्य–समूह को मतदाता पंजीकरण, चुनावी प्रक्रिया और अन्य सम्बन्धित बातों के बारे में व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से शिक्षित करना;

ii. प्रतिभागियों को ई.वी.एम. और वी.वी.पैट. से परिचित कराना और उन्हें ई.वी.एम.की मजबूती और ई.वी.एम. का प्रयोग करके सम्पन्न होने वाली चुनावी प्रक्रिया की प्रामाणिकता के बारे में बताना;

iii. अपने वोट का महत्त्व समझने में लक्ष्य–समूह की मदद करना, साथ ही, वे अपने मताधिकार का प्रयोग पूरे विश्वास के साथ, सुविधाजनक तरीके से तथा नैतिकता के साथ कर सकें, इसमें उनकी सहायता करना;

iv. निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य समुदाय में निर्वाचन साक्षरता का प्रसार कर सकें, इसके लिए उनकी क्षमता–वृद्धि करना;

v. जो सदस्य 18 वर्ष की आयु के हो जाएँ, उन्हें मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने में मदद करना;

vi. चुनावों में भागीदारी करने और सोच–समझकर व नैतिकता के साथ वोट देने की संस्कृति विकसित करना, साथ ही, इस सिद्धान्त का पालन करने पर जोर देना कि **'हर वोट महत्त्वपूर्ण है'** तथा **'कोई भी मतदाता छूटे नहीं'**।

3. स्वरूप

निर्वाचन साक्षरता क्लब हर कक्षा व वर्ग (सेक्शन) के लिए होगा। यद्यपि हर विद्यालय–श्रेणी के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब भिन्न होंगे, और गतिविधियों का जो संग्रह होगा, वह खास तौर पर उस श्रेणी विशेष के लिए ही होगा, पर हर श्रेणी के विभिन्न वर्गों के

लिए गतिविधियाँ एक जैसी होंगी। निर्वाचन साक्षरता क्लब एक निश्चित कक्षा/सत्र में कक्षावार गतिविधियाँ संचालित करेगा। कक्षा के सभी विद्यार्थी निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य होंगे।

4. सदस्य और कार्यकारिणी समिति

विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे निर्वाचन साक्षरता क्लब को कार्यकारिणी समिति के एक निर्वाचित समूह के माध्यम से चलाएँ, जिसमें हर वर्ग (सेक्शन) के चुने हुए प्रतिनिधि हों। इन चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व होगा– निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों का आयोजन करना। वे विद्यालय के नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन और देखरेख में व उनकी सलाह से ही काम करेंगे।

विकल्प के रूप में, विद्यालय शिक्षकों के माध्यम से भी गतिविधियाँ संचालित कर सकते हैं, जो कक्षा के विद्यार्थियों को इसमें शामिल करेंगे।

5. नोडल अधिकारी और उनके उत्तरदायित्व

विद्यालय के मानविकी विभाग के एक या दो शिक्षक निर्वाचन साक्षरता क्लब के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे सम्बन्धित निर्वाचन साक्षरता क्लब के मार्गदर्शी के रूप में भी कार्य करेंगे। चुनावी दायित्व निभाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को इस कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उनके मुख्य दायित्व होंगे–

i. जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था बनाई है, उससे समन्वयन करना। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए निर्वाचन साक्षरता के संसाधन ऑनलाइन या किसी अन्य तरीके से उपलब्ध कराए जाएँगे।

ii. विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ संचालित करने वाले शिक्षकों के लिए निर्दिष्ट संसाधनों/उपकरणों/साधनों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

iii. निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ संचालित करने के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन करना।

iv. चुनावी साक्षरता से सम्बन्धित संसाधनों का भावी मतदाताओं के कौशल विकास हेतु व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से उपयोग करवाना।

v. विद्यालय के चुनावों को निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधि के अनुसार मार्गदर्शन देना।

vi. नए संसाधनों का निर्माण करने का प्रयास करना और तैयार करके उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना।

vii. विद्यार्थियों/कार्यकारिणी समिति की सलाह से गतिविधियों का वार्षिक कैलेण्डर बनाना।

viii. कक्षा 12 के विद्यार्थियों के नामांकन की व्यवस्था करना, जब वे पात्र हो जाएँ।

नोट : **नोडल अधिकारी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को निर्वाचन साक्षरता क्लब के संचालन में संलग्न करने के लिए स्वतंत्र होंगे।**

6. संयोजक

हर कक्षा में एक शिक्षक नियत होगा, जो निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों का संचालन करेगा। शिक्षकों का समूह भी हो सकता है, जो विभिन्न कक्षाओं में चुनावी साक्षरता क्लबों की गतिविधियों को संचालित कर सकता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी नोडल अधिकारियों की होगी। निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों के संचालन में नोडल अधिकारी शिक्षकों का मार्गदर्शन करेंगे। पुरुष एवं महिला संयोजकों के मध्य समुचित संतुलन बनाए रखना होगा।

7. आयोजन–स्थल

अधिकांश चुनावी साक्षरता क्लबों की गतिविधियों का आयोजन–स्थल उनसे सम्बन्धित कक्षाएँ होंगी। कुछ गतिविधियाँ विद्यालय के सभागार या विद्यालय के खेल के मैदान में भी संचालित हो सकती हैं।

8. निर्वाचन साक्षरता क्लब के सत्र

सत्र गतिविधि आधारित होंगे और कुछ गतिविधियाँ एक से ज्यादा निर्वाचन साक्षरता क्लबों के लिए एक साथ संचालित होंगी। निर्वाचन साक्षरता क्लब के विभिन्न स्तरों के लिए अलग गतिविधियाँ होंगी। अतः उनके लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कुल छः से लेकर आठ घंटे के बीच के सत्र निर्धारित हैं।

9. गतिविधियों का प्रस्तावित क्रम

गतिविधियों की प्रस्तावित क्रमबद्ध अनुसूची निम्नलिखित है, जिसमें निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ संचालित होंगी–

माह	गतिविधि	अवधि
पूरे वर्ष	चुनाव पत्रिका	
अप्रैल	निर्वाचित्र (प्रथम वर्ष)	45 मिनट
अप्रैल	जनता के प्रतिनिधि बनें कार्ड का खेल	45 मिनट
अप्रैल	आदर्श मतदान	60 मिनट
जुलाई–अगस्त	फिल्म प्रदर्शन	60–120 मिनट
सितम्बर–नवम्बर	चुनाव यंत्र और मतपत्र का निर्माण	60 मिनट
जनवरी (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)	वाद–विवाद प्रतियोगिता	60 मिनट
कुल		5 घंटे (इसमें निर्वाचित्र का समय शामिल नहीं है।)

10. गतिविधियाँ

कक्षा ग्यारह के लिए निर्वाचन साक्षरता मार्गदर्शिका में गतिविधियों और उनके संचालन का विस्तृत विवरण शामिल है। इनमें से दीवार पत्रिका मासिक गतिविधि है, जो निर्वाचन साक्षरता क्लब के कक्षा नौ के सदस्यों द्वारा संचालित होगी। कक्षा ग्यारह के विद्यार्थी का इसमें नियमित योगदान होगा।

11. सत्र का स्वरूप

हर निर्वाचन साक्षरता क्लब सत्रों के दिए गए स्वरूप का पालन करेगा।

सभा : निर्वाचन साक्षरता क्लब के हर एक सदस्य को कार्य–स्थल पर पहुँचते ही एक–दूसरे का अभिवादन करना चाहिए। उसके बाद संयोजक 5–10 मिनट में पिछले सत्र से ली गई सीख एवं अनुभव को संक्षेप में दोहराएगा।

गतिविधि संचालन : जो भी गतिविधियाँ सत्र के लिए निर्धारित की गई हैं, वह संयोजक द्वारा संचालित की जाएँगी। संयोजक को इसके लिए पहले से ही तैयारी करके आना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सत्र का समय दिए गए समय से अधिक न हो।

3–2–1 के आधार पर सारांश बताना और फिर से याद दिलाना– सभी गतिविधियों में सारांश करने और फिर से याद दिलाने का यह तरीका अपनाना चाहिए। संयोजक निर्वाचन साक्षरता क्लब के विभिन्न सदस्यों से निम्नलिखित बातें पूछेंगे–

- 3 ऐसी बातें, जो आज उन्होंने सीखीं।
- 2 ऐसी बातें, जो वे याद रखेंगे।
- 1 ऐसी बात, जिसके बारे में वे और अधिक जानना चाहते हैं। (यहाँ विद्यार्थी गतिविधि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।)

12. दिव्यांग विधार्थीयों का समावेश

निर्वाचन साक्षरता क्लब एक ऐसा क्लब होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि हर दिव्यांग विद्यार्थी भी इस गतिविधि का हिस्सा बने।

- संयोजक को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वे उनकी भागीदारी बढ़एं और सदस्यों को उनके प्रति संवेदनशील बनाएं।
- कोशिश करनी चाहिए कि निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ ऐसी जगह संचालित हों, जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके।
- अगर कोई विद्यार्थी जो सभा में भाग ले रहा है, जिसे सुनने में परेशानी हो तो विद्यार्थी की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा समझने वाले दुभाषिये का इंतजाम होना चाहिए। (दुभाषिया विद्यार्थी द्वारा पहले से ही लाया गया साथी भी हो सकता है)।
- केन्द्र में कोई भी गतिविधि संचालित करते समय दिव्यांग विद्यार्थी को छोड़ें नहीं।

13. गतिविधियाँ (निर्देशों सहित)

गतिविधि : चुनाव पत्रिका में योगदान

रूपरेखा

चुनाव पत्रिका के पीछे का उद्देश्य निर्वाचन साक्षरता को मनोरंजक, रचनात्मक एवं आकर्षक ढंग से बताना एवं साथ ही साथ सभी विद्यार्थी की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

इस उद्देश्य के लिए विद्यालय के प्रमुख हिस्से में दीवार का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे '**निर्वाचन साक्षरता दीवार**' के नाम से जाना जाएगा। दीवार निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित विभिन्न विषयों का प्रदर्शन करेगी, जो कि चिपकाए या पिन किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि चित्रांकित भी किए जा सकते हैं, अगर अनुमति हो तो।

दीवार पत्रिका का प्रबंध कक्षा नौ के निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा किया जाएगा। कक्षा ग्यारह के विद्यार्थी चुनाव पत्रिका के लिए विषय–सामग्री तैयार करने में अपना योगदान करेंगे।

मुख्य विषय के भीतर की विषय–सामग्री साप्ताहिक और पाक्षिक आधार पर बदल दी जाएगी। यह इस पर निर्भर करेगा कि विद्यार्थी कितनी सामग्री जुटा पाते हैं। विद्यार्थी दीवार पत्रिका के लिए विषय–सामग्री का निर्माण करने में कक्षा नौ के सदस्यों की मदद करेंगे।

चुनाव पत्रिका की विषय वस्तु

चुनाव पत्रिका के मूल विषयों और संभावित उप विषयों की सूची निम्नलिखित है–

1. लोकतंत्र–लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार
2. मेरा वोट मेरा अधिकार है
   - वोट की कीमत
3. चुनाव में हर वोट की कीमत समान है
4. पंजीकृत होना
   - 18 वर्ष– पात्रता की उम्र
   - मतदाता सूची
5. मतदाता कार्ड / मेरा मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC)
6. कौन चुनाव लड़ सकते हैं
   - पात्रता
   - उम्मीदवार बनने के चरण

7. नैतिक और सोच–समझकर मतदान

- चुनाव–प्रचार में क्या करें, क्या न करें
- आदर्श आचार संहिता, उम्मीदवार द्वारा कदाचार की सूचना किसे देनी है।

8. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) और वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वी.वी.पी.ए.टी.)।

- मतदान की गोपनीयता
- ई.वी.एम. / वी.वी.पी.ए.टी. के इस्तेमाल द्वारा चुनाव प्रक्रिया की प्रामाणिकता।

9. नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं)

- नोटा का प्रयोग कब करना है।
- अपने उम्मीदवार की आवश्यक सूचना का ज्ञान होना।

10. निर्वाचन आयोग बनाम राज्य निर्वाचन आयोग / एन.वी.डी.

गतिविधि : निर्वाचित्र– फिल्म प्रदर्शन के बाद पोस्टर निर्माण

रूपरेखा

यह गतिविधि आकर्षक फिल्म/फ्लिप चार्ट द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया और कार्यप्रणाली का परिचय देती है, और इसके बाद इसमें अपनी बात रखने और सूचना का प्रसार करने के लिए चित्र कथाओं का इस्तेमाल किया जाता है।

नोट : यह गतिविधि कक्षा 11 के निर्वाचन साक्षरता क्लब के सिर्फ पहले बैच के सदस्यों के लिए संचालित होगी।

शिक्षण परिणाम : क्या सीखेंग

गतिविधि पूरी करने के बाद, विद्यार्थी –

i. जान सकेंगे कि मतदाता बनने की पात्र आयु 18 वर्ष की है।

ii. मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया और इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मों से अवगत हो सकेंगे।

iii. अपने वोट की कीमत को जान सकेंगे।

iv. बूथ लेवल अधिकारी की भूमिका को पहचान सकेंगे, जो सम्पर्क का पहला बिन्दु है और चुनावी प्रक्रिया से उन्हें जोड़ता है।

संसाधन

i. मस्ती दोस्ती और मतदान (एनीमेटेड लघु फिल्म–12 मिनट)

ii. अभय और आभा – चित्र पुस्तिका/स्क्रोल

iii. लोकतंत्र एक्सप्रेस – आडियो कथा

iv. पंजीकरण और मतदान पर फ्लिप चार्ट

नोट : जहाँ फिल्म प्रदर्शन सम्भव नहीं है, वहाँ वैकल्पिक संसाधन के रूप में चित्र पुस्तिका/स्क्रोल, ऑडियो कथा और फ्लिप चार्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

आवश्यक सामग्री

i. स्क्रीन, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, स्पीकर्स

ii. हर छात्र के लिए कापी और पेन

iii. चार्ट पेपर और मोटे मार्कर पेन

अवधि : 45 मिनट

समय : अप्रैल का पहला सप्ताह

विधि

1. फिल्म प्रदर्शन/फ्लिप चार्ट प्रदर्शन से पहले संयोजक विद्यार्थी को चुनाव और सहभागिता पर एक संक्षिप्त और अनौपचारिक चर्चा में व्यस्त कर देंगे। वह ऐसा उन्हें मतदाता पंजीकरण से परिचित कराने और उनकी मौजूदा धारणाओं के संक्षिप्त मूल्यांकन के उद्देश्य से करेंगे।

2. संयोजक प्रश्न पूछ कर चर्चा आरम्भ कर सकतें हैं–
   - भारत का प्रधानमंत्री कौन है ?
   - क्या आप जानते हैं कि वह प्रधानमंत्री कैसे बने ?
   - लोकतंत्र क्या है ?
   - लोकतंत्र, शासन का इतना प्रमुख रूप क्यों है ?
   - लोकतंत्र में हर आवाज कैसे सुनी जाती है ? (निर्वाचित प्रतिनिधि)
   - लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनते हैं ? (चुनाव)
   - वह कौन सा साधन है, जिससे हमारी आवाज सुनी जाए ? (मतदान)
   - क्या आपको लगता है कि मतदान आवश्यक है ? आपका वोट क्यों आवश्यक है ?

3. अब संयोजक को 14–17 आयु वर्ग में शामिल भारत के युवा और भावी मतदाताओं से बात करनी चाहिए और इस बात पर जोर देना चाहिए कि जब वह 18 वर्ष के हो जाएँ, तब उनमें से हर एक के लिए मतदान करना कितना आवश्यक है।

4. फिर संयोजक को निर्वाचन साक्षरता क्लब के विद्यार्थी से पूछना चाहिए कि क्या वे मतदान के लिए तैयार हैं।

5. संयोजक को सवाल बीच में ही छोड़कर फिल्म दिखाने के लिए आगे आना चाहिए। जहाँ फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, वहाँ संयोजक को फ्लिप चार्ट/चित्र स्क्रोल दिखाना चाहिए या ऑडियो कथा सुनानी चाहिए।

6. तत्पश्चात् विद्यार्थी को मतदान के महत्त्व पर व्यापक विचार–विमर्श में शामिल किया जाए। शिक्षार्थियों से कहा जाएगा कि वे अपने इलाके में पहली बार होने वाले वास्तविक चुनाव को याद करें, चाहे इसमें उनके अभिभावक, संरक्षक, सम्बन्धी, पड़ोसी की सहभागिता रही हो, या नहीं।

7. इसके बाद विद्यार्थी को चार्ट पेपर और रंग देकर उनसे फिल्म के मुख्य बिन्दुओं पर या चुनाव और मतदान के महत्त्व पर पोस्टर बनाने को कहना चाहिए।

8. संयोजक पोस्टरों को एकत्रित करके सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। पोस्टरों को सावधानीपूर्वक जमा किया जाना चाहिए, और इन्हें भविष्य में निर्वाचन साक्षरता क्लब के आयोजन–स्थल को सजाने या राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विद्यालय में प्रदर्शनी लगाने में उपयोग करना चाहिए।

9. **3–2–1 के आधार पर सारांश करने और स्मरण कराने के लिए** संयोजक बिना क्रम के अलग–अलग सदस्यों से निम्नलिखित बातें पूछेंगे :

   - 3 बातें, जो आज उन्होंने सीखीं।
   - 2 बातें, जो वे याद रखेंगे।
   - 1 बात, जिसके बारे में वे और ज्यादा जानना चाहते हैं। (यहाँ वे गतिविधि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।)

गतिविधि : कार्ड का खेल– जनप्रतिनिधि बनें

रूपरेखा

कार्ड का खेल राजनैतिक उम्मीदवार के दृष्टिकोण से चुनाव और नामांकन प्रक्रिया के बारे में खिलाड़ियों को अवगत कराता है। यह एक बार में दो से छः खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है।

शिक्षण परिणाम : क्या सीखेंगे

गतिविधि को पूरा करने के बाद, विद्यार्थी –

I. उम्मीदवार बनने की पात्रता के मानदंड के बारे में जान सकेंगे।

ii. नामांकन प्रक्रिया को समझ सकेंगे।

iii. आदर्श आचार संहिता के बारे में जान सकेंगे।

iv. उम्मीदवार की अपात्रता के बारे में जान सकेंगे।

संसाधन :

i. कार्ड का सेट।

अवधि : 30 मिनट

समय : अप्रैल का दूसरा सप्ताह।

विधि

1. इस खेल को विद्यार्थी बिना किसी की मदद या मार्गदर्शन के खेल सकते हैं।
2. निर्देश खेल के साथ दिए गए हैं और यह विद्यार्थी द्वारा कभी भी खेला जा सकता है।
3. खेल के बाद, संयोजक नामांकन और चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर एक अनौपचारिक चर्चा का आयोजन कर सकते हैं।
4. सदस्य अगर चाहें तो चर्चा में यह भी शामिल कर सकते हैं कि विद्यालय परिषद चुनाव में क्या किसी निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यक पात्रता/योग्यता की शर्तों को लागू किया जा सकता है?

5. **<u>3–2–1 के आधार पर सारांश करने और स्मरण कराने के लिए</u>** संयोजक बिना क्रम के अलग–अलग सदस्यों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे–

- 3 बातें, जो आज उन्होंने सीखीं।
- 2 बातें, जो वे याद रखेंगे।
- 1 बात, जिसके बारे में वे और अधिक जानना चाहते हैं। (यहाँ वह गतिविधि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।)

गतिविधि : मॉडल मतदान– कृत्रिम चुनाव

रूपरेखा

चुनाव की अनुकरण कक्षा 11 के लिए एक वर्गवार गतिविधि होगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे कक्षा के लिए कक्षा नायक (क्लास मॉनिटर) या और किसी पद का चुनाव कर सकते हैं। संयोजक किसी एक कक्षा (जैसे कक्षा 11 का एक वर्ग) या पूर्ण श्रेणी (जैसे कक्षा 11 के सभी वर्ग) के लिए गतिविधि का संचालन करने का निर्णय ले सकतें हैं।

शिक्षण परिणाम : क्या सीखेंग

गतिविधि समाप्त होने के पश्चात, विद्यार्थी–

i. मतदान प्रक्रिया से परिचित हो सकेंगे।

ii. मत की गोपनीयता को समझ सकेंगे।

iii. मतों की गिनती के बारे में जान सकेंगे।

संसाधन

- पंजीकरण फॉर्म (पृष्ठ– 36 पर)
- मतदाता सूची प्रारूप (पृष्ठ– 37 पर)
- नामांकन फॉर्म (पृष्ठ– 38 पर)
- उम्मीदवारों की सूची के लिए अधिसूचना (पृष्ठ– 41 पर)
- चिन्हों की सूची (पृष्ठ– 42 पर)
- मतपत्र का नमूना (पृष्ठ– 43 पर)

आवश्यक सामग्री

i. मतदान पेटी– जूते के डिब्बे से बनाया जा सकता है।

ii. कवर स्क्रीन– स्क्रीन बनाने के लिए गत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अवधि : प्रत्येक 30 मिनट

समय : अप्रैल के अंत में

सत्र–1

भूमिका सौंपना

(I) संयोजक को सूचनापट पर विद्यार्थी द्वारा चुनी गई भूमिकाओं को प्रदर्शित करना चाहिए, जो वे इस गतिविधि में निभाएँगे–

(अ) **निर्वाचन अधिकारी–1**

(नामांकन फॉर्म स्वीकार करने, मतपत्र बनाने, चुनाव संचालित करने, गिनती करने और परिणाम घोषित करने के लिए जिम्मेदार होगा। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी निर्वाचन अधिकारी की सहायता करेंगे।)

(ब) **पीठासीन अधिकारी–1**

(मतदान और गिनती की प्रक्रिया की देखरेख करेंगे और मतदान अधिकारी उसकी सहायता करेंगे।)

(स) **मतदान अधिकारी–3**

(द) **निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी–1**

(विद्यार्थी के पंजीकरण और निर्वाचक नामावली/मतदाता सूची को अन्तिम रूप देने के लिए जिम्मेदार होंगे। बूथ स्तर के अधिकारी उनकी सहायता करेंगे।)

(य) **बूथ स्तर अधिकारी–2/4**

(कक्षा में प्रति हाउस एक हो सकता/सकती है। वह हाउस के छात्रों को पंजीकरण फॉर्म जारी करेंगे और उनसे प्राप्त करेंगे। वे निर्वाचन अधिकारी की मतपत्र बनाने में सहायता भी करेंगे।)

(र) **मतदाता**

(ल) **चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार**

(चुनाव लड़ सकते हैं और उसके लिए अभियान चला सकते हैं।)

उम्मीदवार की पात्रता के मानदण्ड :

- ✓ वह कक्षा के निर्वाचन साक्षरता क्लब में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- ✓ उम्मीदवारों के नामांकन के लिए न्यूनतम तीन प्रस्तावकों का होना अनिवार्य है।
- ✓ नामांकित व्यक्तियों को संयोजक/शिक्षक का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

(ii) विद्याथी अपनी इच्छा के अनुसार स्वयंसेवक की भूमिका ले सकते हैं। संयोजक उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक सम्भव हो, उन्हें भूमिका सौंपेंगे और उनका सहयोग करेंगे। भूमिका लेने वाले छात्रों को अ—ल तक संदर्भ में दी गई भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ पढ़नी चाहिए।

(iii) इसके बाद संयोजक विभिन्न भूमिका निभाने वालों से पूरी कक्षा के सामने उनकी भूमिका का सारांश रखनें को कहें।

तैयारी

(i) निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तर अधिकारी संदर्भ में दिए गए पंजीकरण प्रारूप के अनुसार पंजीकरण फॉर्म बनाएँगे।

(ii) निर्वाचन अधिकारी को नामांकन फॉर्म की पर्याप्त प्रतियाँ बनवाकर उम्मीदवारों को देनी चाहिए।

(iii) इसी दौरान पीठासीन और मतदान अधिकारी को मत पेटी बना लेनी चाहिए और नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार मतदान क्षेत्र में मतदान केन्द्र स्थापित करना चाहिए।

(iv) मत पेटी को ढकने के लिए उसके आस—पास पर्दा डाला जाना चाहिए, जिससे मत की गोपनीयता को बनाए रखा जा सके।

(v) मतदाताओं की मतदान जागरूकता के लिए पोस्टर्स, नारे और अन्य विषय वस्तु चित्रित करनी चाहिए।

(vi) संयोजक को चुनावी अभियान और मतदान क्षेत्र के लिए दो अलग–अलग कक्षों की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ चुनाव हो सकें या एक ही कक्ष को सम्बन्धित प्रक्रियाओं के लिए दो क्षेत्रों में विभाजित कर देना चाहिए।

सत्र–2 :

प्रारम्भिक सत्र के बाद पंजीकरण, नामांकन, चुनाव प्रचार और मतदान प्रक्रिया की जाएगी और प्रत्येक का निरीक्षण, संयोजक द्वारा किया जाएगा। लेकिन यह सम्बन्धित भूमिका निभाने वाले छात्रों द्वारा इस प्रकार चलाया जाएगा–

I. पंजीकरण

(I) बूथ स्तर अधिकारी छात्रों से पंजीकरण फॉर्म साझा करेंगे और उन्हें भरवा कर जमा करेंगे।

(ii) उम्मीदवार, मतदान अधिकारी आदि को मिलाकर सभी विद्यार्थी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं।

(iii) चुनाव पंजीकरण अधिकारी, बूथ स्तर अधिकारी जमा किए गए आँकड़ों के आधार पर, संदर्भ में दिए गए प्रारूप के अनुसार निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) बनाएँगे। निर्वाचक नामावली हाउस/.... के अनुसार बनाई जाएगी।

(iv) सभी विद्यार्थी सूची को ठीक ढंग से देख सकें, इसके लिए बूथ स्तर अधिकारी मतदाता सूची का प्रदर्शन कक्षा के सूचनापट या दीवार पर करेंगे।

II. नामांकन और चिन्ह आवंटन

(i) चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के नामांकन करने और नामांकन फॉर्म भरने का समर्थन करने के लिए मतदाताओं में से न्यूनतम तीन प्रस्तावक चाहिए।

(ii) उम्मीदवारों को निर्धारित चिन्हों की सूची में से तीन चिन्ह चुनने होंगे और अपने नामांकन पत्र में उनका उल्लेख प्राथमिकता के क्रम में करना होगा। चिन्ह निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवंटित किए जाएँगे।

(iii) निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जाँच करेंगे और यह भी देखेंगे कि ये उम्मीदवारों के लिए बनाए गए मापदंडों को पूरा कर रहे हैं, या नहीं। जिन

उम्मीदवारों के प्रपत्र मापदंडों को पूरा करेंगे, उनके नामांकन पत्र को स्वीकार किया जाएगा।

(iv) उम्मीदवारों के नामों को उनकी पात्रता की पुष्टि के लिए निर्वाचक नामावली में जाँचना चाहिए।

(v) उम्मीदवारों को चिन्ह पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाएँगे। अगर उम्मीदवार की पहली प्राथमिकता वाला चिन्ह पहले ही किसी और उम्मीदवार को आवंटित कर दिया गया है, तो उसकी दूसरी या तीसरी प्राथमिकता को माना जाएगा। अगर उम्मीदवार के चिन्हों के सभी विकल्प पहले ही आवंटित हो चुके हैं, तो उम्मीदवार बचे हुए गैर आवंटित चिन्हों में से कोई एक चिन्ह चुन सकता है।

(vi) उम्मीदवारों की सूची निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में बनाई जानी चाहिए। उम्मीदवारों को नाम उनके नामांकन पत्र में दिए गए नामों के अनुसार सूची से वर्णमाला क्रम में दिखाई देंगे।

(vii) उम्मीदवारों की सूची या अधिसूचना को सूचनापट अथवा दीवार पर प्रदर्शित किया जाएगा।

III. चुनाव प्रचार

(i) निर्वाचन अधिकारी पूरी कक्षा की मौजूदगी में उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार का संक्षिप्त परिचय देते हुए निम्नलिखित नियमों को बताएगा–

- अपने पक्ष में मतदान के लिए किसी भी तरह की जोर–जबरदस्ती की अनुमति नहीं है।
- सामुदायिक संपत्ति का नुकसान करने की अनुमति नहीं है।
- अशांति और उपद्रव (जैसे–ऊँचे स्वर में घोषणाएँ, दुर्व्यवहार और आस–पास कचरा करने) की अनुमति नहीं है।
- किसी भी तरह की रिश्वतखोरी की अनुमति नहीं है।
- किसी भी तरह के भेदभाव के आधार पर दिया गया समर्थन मान्य नहीं है।
- मतदाताओं को बहकाने या गलत सूचना देने का प्रयास करना निषिद्ध है।
- सार्वजनिक रूप से प्रतिद्वन्दी उम्मीदवार को बदनाम करने या उसकी छवि को बिगाड़नें का प्रयास करना निषिद्ध है।

- अगर कोई भी उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाया गया, तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(ii) नामांकित उम्मीदवार अपने प्रस्तावकों की सहायता से अपने चुनाव का प्रचार कर सकते हैं और मतदाताओं को अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बता सकते हैं।

(iii) संयोजक एक–एक कर उम्मीदवारों को बुला सकतें हैं और उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने को राजी करने के लिए संक्षिप्त भाषण देने को प्रोत्साहित कर सकतें हैं।

IV. मतदान कक्ष स्थापित करना तथा मतदान की तैयारी करना

(i) निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तर अधिकारी की सहायता से मतपत्र तैयार किया जाएगा।

(ii) मतपत्र का नमूना दिया गया है। उसमें उम्मीदवारों के नाम और चिन्ह तैयार की गई उम्मीदवारों की सूची के अनुसार दिखने चाहिए। नोटा का विकल्प मतपत्र के अंत में होना चाहिए।

(iii) आवश्यक संख्या में फोटोकॉपी किए हुए अथवा हाथ से बने हुए मतपत्रों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए।

(iv) इस दौरान पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र को स्थापित करेंगे और निर्वाचक नामावली/मतदाता सूची उपलब्ध कराएँगे तथा मतपेटी को उनकी सम्बन्धित मेजों पर रखेंगे।

(v) मतपेटी को सील नहीं करना है और उसे ऊपर से तब तक खुला रखना है, जब तक वह सभी प्रतिभागियों को खाली न दिखा दी जाए। मतदान पर्दे के पीछे एक पेंसिल छोड़नी चाहिए।

V. मतदान के पहले जानकारी देना

(i) पीठासीन अधिकारी संक्षेप में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी की भूमिका के बारे में मतदाताओं को बताएंगे।

(ii) पीठासीन अधिकारी पूरी प्रक्रिया को देखेंगे।

(iii) पहले मतदान एजेन्ट के पास मतदाता सूची होगी और वह सूची में मतदाता का नाम जाँचेगा, और जैसे ही मतदाता मतदान के लिए जाएगा, वह उसके नाम के आगे निशान लगाएगा।

(iv) दूसरा मतदान एजेन्ट मतदाता के बाएँ हाथ की पहली उँगली पर निशान लगाएगा।

(v) तीसरा मतदान एजेन्ट मतदाता को मतपत्र देगा।

(vi) मतदाता को बताना चाहिए कि मतपेटी में मतपत्र को डालने से पहले उस पर निशान लगाना चाहिए, नहीं तो उनका वोट गिना नहीं जाएगा।

(vii) मतदाताओं को मतपत्र पर कोई भी नाम, नम्बर आदि न लिखने और किसी भी तरह का कोई निशान न लगाने के लिए निर्देशित कर देना चाहिए। अन्यथा उनका मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा। उन्हें मतपत्र पर उम्मीदवार के नाम के आगे सही का निशान लगाना/चिन्हित करना चाहिए।

(viii) अगर मतपत्र पर सदस्यों से गलती से कोई गलत चिन्ह अंकित हो गया है, तो पीठासीन अधिकारी के पास जाकर मतपत्र बदल सकते हैं।

(ix) संयोजक को वोट की गोपनीयता पर जोर देना चाहिए।

VI. मतदान

(i) पीठासीन अधिकारी को सभी को दिखाना चाहिए कि मतपेटी खाली है।

(ii) सभी प्रतिभागियों को एक कतार में खड़े होने के लिए निर्देशित करना चाहिए। दिव्यांग छात्रों को कतार में प्राथमिकता देनी चाहिए।

(iii) प्रतिभागियों से कहें कि वे एक–एक करके जाएँ और मतपत्र को चिन्हित करने के लिए मतदान पर्दे के पीछे जाने से पहले, अपना नाम पहले मतदान अधिकारी से जँचवाएँ, फिर दूसरे से मतपत्र लेकर तीसरे से उँगली में स्याही से निशान लगवाएँ।

(iv) मतदाताओं को अपने मतपत्र को चिन्हित करने के बाद दो हिस्सों में मोड़कर मतपेटी में डालना चाहिए।

(v) मतदान के बाद संयोजक को सभी को बताना चाहिए कि किस तरह ई.वी.एम. ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए मतपत्रों का स्थान ले लिया है, और ये गुप्त मतदान का कितना प्रभावशाली तथा सुरक्षित तरीका है।

VII. वोटों की गिनती

(i) पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी की भूमिका निभाने वाले सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में मतगणना का कार्य करना चाहिए।

(ii) पहले मतपत्र एक–एक कर खोले जाएँगे। उसके बाद उन पर लगे निशान के अनुसार अलग–अलग उम्मीदवारों के मतपत्र अलग–अलग इकट्ठा किए जाएँगे।

(iii) श्यामपट (ब्लैक बोर्ड) को उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार उतने हिस्सों में विभाजित करके, गिनती करने वाले एजेन्ट को श्यामपट के पास प्राप्त मत लिखने के लिए खड़ा कर देना चाहिए। श्यामपट के अभाव में एक बड़ा चार्ट पेपर, गत्ता या कोई भी बड़ा तख्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि सभी सदस्य मतों की गिनती देख सकें।

(iv) चिन्हित मतपत्रों को खोलें, उन्हें सभी प्रतिभागियों को दिखाएँ और उस उम्मीदवार का नाम पुकारें, जिसे मतपत्र में चिन्हित किया गया है।

(v) रद्द किए गए मतपत्रों को अलग इकट्ठा कर उन्हें मतों की गिनती से बाहर करदें। प्रतिभागियों को बताएं कि ये मतपत्र क्यों रद्द किए गए हैं।

(vi) **3–2–1 के आधार पर सारांश करने और स्मरण कराने के लिए** संयोजक बिना क्रम के अलग–अलग सदस्यों से निम्नलिखित बातें पूछेंगे :

- 3 बातें, जो आज उन्होंने सीखीं।
- 2 बातें, जो वे याद रखेंगे।
- 1 बात, जिसके बारे में वे और ज्यादा जानना चाहते हैं। (यहाँ वे गतिविधि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।)

संयोजक के लिए नोट : जहाँ विद्यालय परिषद् के चुनाव हों, वहाँ छात्रों को विद्यालय परिषद् चुनाव और निर्वाचन साक्षरता क्लब में बताए गए आदर्श चुनाव की तुलना करने और निम्नलिखित पर चर्चा करने को कहा जा सकता है–

- निर्वाचन साक्षरता क्लब की आदर्श चुनाव पद्धति और रू–ब–रू वर्तमान पद्धति के लाभ और कमियाँ।
- अन्य कोई अनुभव।
- विद्यालय की चुनाव प्रक्रिया के लिए संस्तुतियाँ / सुझाव (यदि कोई हों)।

गतिविधि : फिल्म प्रदर्शन (न्यूटन, कुदरत नो बनधारन, नो इलेक्शन)

रूपरेखा

विद्यालय के निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधि के एक भाग के रूप में छात्रों/छात्राओं को अलग–अलग सेमेस्टर के अनुसार चुनावों और चुनाव–प्रक्रिया पर फीचर फिल्म/डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएँगी।

शिक्षण परिणाम : क्या सीखेंगे

छात्र/छात्राओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे चुनाव, चुनाव–प्रक्रिया आदि पर दिखाई गई फिल्म की विवेचना/विश्लेषण करेंगे और तदनुसार फिल्म/डॉक्यूमेण्ट्री को भली–भाँति समझने की कोशिश करेंगे, ताकि वे विषय से सम्बन्धित तार्किक व सोची–समझी राय बना सकें।

डॉक्यूमेंट्री/फिल्मों की संभावित सूची

(क) लोक सभा इलेक्शन्स 2019 पर फिल्म

(ख) न्यूटन

(ग) इलेक्शन

(घ) भूतनाथ रिटर्न्स

(च) कुदरत नो बनधारन

(छ) ऑल द प्रेसिडेन्ट्स मेन

(ज) फ्रोस्ट/निक्सन

(झ) स्विंग वोट

(झ) नो

आवश्यक सामग्री

(i) स्क्रीन, प्रोजेक्टर, लैपटॉप और स्पीकर्स

(ii) हर छात्र के लिए कॉपी और पेन

(iii) चार्ट पेपर और मोटे मार्कर्स

अवधि : प्रति सेमेस्टर /टर्म 4 सत्र (एक टर्म/सेमेस्टर में एक फीचर फिल्म/डॉक्यूमेंट्री)

समय : जुलाई से अगस्त।

विधि

1. छात्रों की मौजूदा अवधारणा को संक्षेप में आँकने और उन्हें विषय से परिचित कराने के उद्देश्य से, संयोजक फिल्म प्रदर्शन के पहले छात्रों से चुनावों और प्रतिभागिता जैसे विषयों पर एक संक्षिप्त और अनौपचारिक चर्चा कराएँगे।
2. इसके बाद छात्रों को फिल्म दिखाई जाएगी।
3. फिल्म के प्रदर्शन के बाद, संयोजक छात्रों के बीच एक अनौपचारिक चर्चा सत्र संचालित करेंगे। चर्चा में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं –

   (क) चुनाव में क्या–क्या सम्मिलित है ?

   (ख) प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों महत्त्व पूर्ण हैं ?

   (ग) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है ?

   (घ) पात्र नागरिकों का चुनावों में हिस्सा लेना क्यों आवश्यक है ?

   (च) न्यायसंगत, स्वतंत्र, निष्पक्ष और अपक्षपाती चुनावों को सुनिश्चित करने में चुनाव संचालन करने वाले प्राधिकारी की क्या भूमिका और स्थिति है ?

   (छ) दूसरे देशों की तुलना में भारत में चुनाव किस रूप में अलग हैं ?

   (ज) दूसरे देशों द्वारा अपने यहाँ होने वाले महत्त्वपूर्ण चुनावों / जनमत–संग्रह आदि में मतदाताओं का अधिकतम संख्या में वोट देने के लिए आना कैसे सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया जाता है।

   (झ) विद्यालय परिषद् चुनाव क्यों आवश्यक है ?

   (ट) भारत में विद्यालय परिषद् चुनाव दूसरे देशों से किस प्रकार भिन्न हैं ?

गतिविधि: चुनाव यंत्र (ई.वी.एम. और वी.वी.पी.ए.टी.) और अपना मतपत्र का निर्माण

रूपरेखा

इस गतिविधि का उद्देश्य छात्रों को ई.वी.एम. और वी.वी.पी.ए.टी. से अवगत कराना, और अगर सम्भव हो, तो व्यावहारिक अनुभव देना है। इस गतिविधि द्वारा सदस्य नोटा को शामिल करते हुए डमी उम्मीदवारों और चिन्हों के साथ अपने मतपत्र खुद बना सकते हैं।

शिक्षण परिणाम : क्या सीखेंगे

गतिविधि पूरी होने के बाद, विद्यार्थी –

(I) ई.वी.एम. और वी.वी.पी.ए.टी. की भूमिका से अवगत हो सकेंगे।

(ii) मतपत्र और ई.वी.एम. में नाम कैसे दिखेंगे, यह जान सकेंगे।

(iii) प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा की सराहना करने में सक्षम हो सकेंगे।

(iv) अंतिम विकल्प के रूप में नोटा से अवगत हो सकेंगे।

(v) संसदीय क्षेत्र और विधान सभा क्षेत्र के बीच के अन्तर से अवगत हो सकेंगे।

संसाधन

(I) ई.वी.एम.–वी.वी.पी.ए.टी. फिल्म

(ii) ई.वी.एम. सम्बन्धी साहित्य

(iii) डमी ई.वी.एम.

(iv) मतपत्र सम्बन्धी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सारांश (पृष्ठ– 46 पर)

(v) मतपत्र पर उम्मीदवारों की नामांकन सूची हेतु मार्गदर्शन (पृष्ठ– 46 पर)

(vi) 15 चिन्हों की सूची (पृष्ठ– 45 पर)

आवश्यक सामग्री

(I) पेन / पेंसिल

(ii) गोंद / लेई

(iii) एक बड़ा चार्ट पेपर

(iv) चिन्हों वाली कागज की 15 चिपकनें वाली पर्चीयां।

(v) कागज की 1 चिपकनें वाली नोटा की पर्ची ।

(vi) स्क्रीन, प्रोजेक्टर, लैपटॉप और स्पीकर्स।

अवधि : 30 मिनट

समय : सितम्बर से नवम्बर के बीच कोई भी उपयुक्त दिन।

तैयारी : संयोजक को संसाधनों में दिए गए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के सारांश का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना चाहिए।

विधि

1. संयोजक द्वारा ई.वी.एम.–वी.वी.पी.ए.टी. फिल्म/फिलप चार्ट का प्रदर्शन किया जाएगा।
2. फिल्म के प्रदर्शन के बाद वह छात्रों से ई.वी.एम. पर प्रश्नों/शंकाओं को आमंत्रित करेंगे।
3. ई.वी.एम. पर फिल्म दिखाने के बाद संयोजक सदस्यों को स्वयं मतपत्र बनाने को कहेंगे और सदस्यों को, जिस प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ का काल्पनिक नागरिक समझने को कहेंगे।
4. संयोजक को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उस क्षेत्र से अवगत होना चाहिए, जहाँ निर्वाचन साक्षरता क्लब स्थापित है। उन्हें सदस्यों के बीच एक संक्षिप्त चर्चा करके निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए–
   - विधानसभा चुनाव क्या है ? ये लोकसभा चुनाव से कैसे भिन्न है ?
   - निर्वाचन क्षेत्र क्या है ?
   - विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या है ? क्या यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और वार्ड (ग्राम पंचायत चुनावों के निर्वाचन क्षेत्र) के समान है ?
   - क्या विधानसभा चुनावों के लिए मतदाताओं को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी होना आवश्यक है ?
5. चर्चा के बाद 15 स्वयंसेवकों को उस विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करें, जिस क्षेत्र में निर्वाचन साक्षरता क्लब स्थित है।

6. कक्षा में दलीय चिन्हों की सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसमें 5 चिन्ह राष्ट्रीय दलों के, 4 चिन्ह मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के, 3 चिन्ह पंजीकृत, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के और बाकी 3 चिन्ह स्वतन्त्र उम्मीदवारों के दर्शाए जाएँगे। (संदर्भ सामग्री में से चिन्ह दिए जाने चाहिए पृष्ठ– 45)*

7. बिना क्रम के 15 स्वयंसेवकों को एक–एक चिन्ह बाँट देना चाहिए।

8. पूरी कक्षा को यह बताएँ कि मतपत्र पर पहले राष्ट्रीय दलों और मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के (श्रेणी 1) उम्मीदवारों के नाम दिखेंगे, इसके बाद पंजीकृत, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के (श्रेणी 2)। स्वतन्त्र उम्मीदवारों (श्रेणी 3) के नाम अंत में दिखेंगे।

9. सूची में उम्मीदवार की सूची उनके वैधानिक नामों की वैधानिकता को वर्णमाला क्रम में आयोग द्वारा निर्धरित की हुई भाषा में व्यवस्थिम होनी चाहिए।

10. सदस्यों और स्वयंसेवकों से कहें कि अब वे ई.वी.एम. के लिए मतपत्र बनाएँ। उन्हें बताएँ कि एक बार में ई.वी.एम. में 16 विकल्प होते हैं, और नोटा हमेशा अंतिम विकल्प होता है।

11. सभी 15 स्वयंसेवकों को कागज की खाली पर्ची दी जाएगी और उन्हें उस पर अपना नाम हिन्दी या अंग्रेजी में लिखने को कहा जाएगा।

12. इस दौरान बचे हुए सदस्यों से कहें कि वे संसाधनों में दिए गए प्रारूप के अनुसार पंक्ति और कॉलम के साथ मतपत्र की रूपरेखा बनाएँ, उसमें उम्मीदवारों के नाम और चिन्हों की जगह को खाली छोड़ दें। जैसा प्रपत्र में दिया गया है, उसी के अनुसार नोटा आखिरी पंक्ति/स्तंभ में बनाया जाएगा।

13. उन स्वयंसेवकों को आगे आने के लिए आमंत्रित करें, जिनके पास डमी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के चिन्ह हैं। उन्हें बताएँ कि उनके नाम मतपत्र में पहले जाएँगे, परन्तु वर्ण क्रम में। संयोजक मार्गदर्शिका में दी गई मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम लिखने की प्रक्रिया को समझने में सदस्यों की मदद करेंगे और स्वयंसेवकों की सहायता करेंगे।

14. स्वयंसेवक अपना नाम डमी मतपत्र पर लिखेंगे और साथ ही उस कागज की पर्ची को अपने दलीय चिन्ह के साथ अपने नाम के आगे चिपका देंगे।

15. यही प्रक्रिया डमी गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के साथ और आखिर में स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ दोहराई जाएगी।

* चुनाव अवधि के दौरान उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या भिन्न हो सकती है।

16. इसी के साथ मतपत्र तैयार है।

17. संयोजक सदस्यों को सूचित करेंगे कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नाम ठीक इसी तरीके से ई.वी.एम. पर प्रदर्शित होंगे।

18. संयोजक इस बात पर जोर देंगे कि ई.वी.एम. पर उम्मीदवारों के नाम और फोटो प्रदर्शित किए जाते हैं, और मतदाताओं को सोच–समझकर मतदान का निर्णय लेने के लिए अपने उम्मीदवारों, उनके पूर्व चरित्र और उनके दल के घोषणापत्र के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए।

19. **3–2–1 के आधार पर सारांश करने और स्मरण कराने के लिए** संयोजक बिना क्रम के अलग–अलग सदस्यों से निम्नलिखित बातें पूछेंगे :
    - 3 बातें, जो आज उन्होंने सीखीं।
    - 2 बातें, जो वे याद रखेंगे।
    - 1 बात, जिसके बारे में वे और ज्यादा जानना चाहते हैं। (यहाँ वे गतिविधि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।)

संयोजक के लिए नोट :

- गतिविधि के बाद संयोजक को मतपत्र बनाने के लिए पूरी कक्षा की सराहना करनी चाहिए। इसके बाद वे लोगों की जानकारी में यह लाएँगे कि मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम निष्पक्ष रूप से अंकित हैं और सूची में उनके नामों का क्रम उनकी क्षमता का सूचक नहीं है। इसीलिए हर किसी को अपने उम्मीदवार के बारे में जानना चाहिए और अपने उम्मीदवार को ई.वी.एम. पर उनके रुतबे का विचार किए बिना वोट देना चाहिए।
- संयोजक को विशेष रूप से यह भी बताना चाहिए कि ई.वी.एम. पर अंतिम विकल्प नोटा होता है। ई.वी.एम. की मतदान इकाई पर 16 में से अंतिम विकल्प हमेशा नोटा ही रहेगा। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या 16 (नोटा सहित), से अधिक होने पर एक अतिरिक्त मतदान इकाई जोड़ दी जाती है।
- ज्यादा से ज्यादा 24 मतदान इकाइयों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, इस प्रकार ई.वी.एम. 384 (16 X 24) विकल्पों की सूची में समाहित कर सकती है। (383 उम्मीदवार + 1 नोटा)

गतिविधि : राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर वाद–विवाद प्रतियोगिता

वाद–विवाद प्रतियोगिता, चुनावों और प्रतिनिधि लोकतंत्र के विषयों पर आयोजित होगी। विषयों के कुछ उदाहरण निम्नवत् हैं :

1. मतदाता शिक्षा : एक ऐसी आवश्यकता, जिसे कम करके आँका जाता है।
2. सरकार द्वारा मतदान अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
3. ऑनलाइन मतदान : आगे बढ़ने का रास्ता यह एक सम्भावनायुक्त उपद्रव का पिटारा खोलना।
4. क्या गम्भीर अपराध में दोषी पाए गए उम्मीदवारों को चुनावों के अयोग्य ठहराना चाहिए ?
5. एक्जिट और ओपीनियन पोल को प्रतिबंधित और नियंत्रित करना चाहिए।

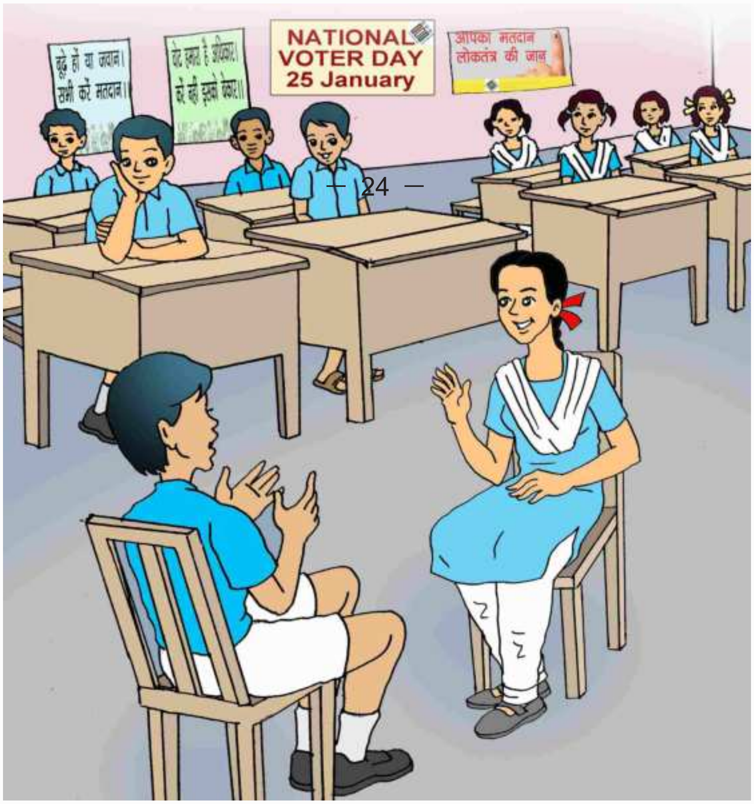

14. गतिविधियों के लिए संसाधन

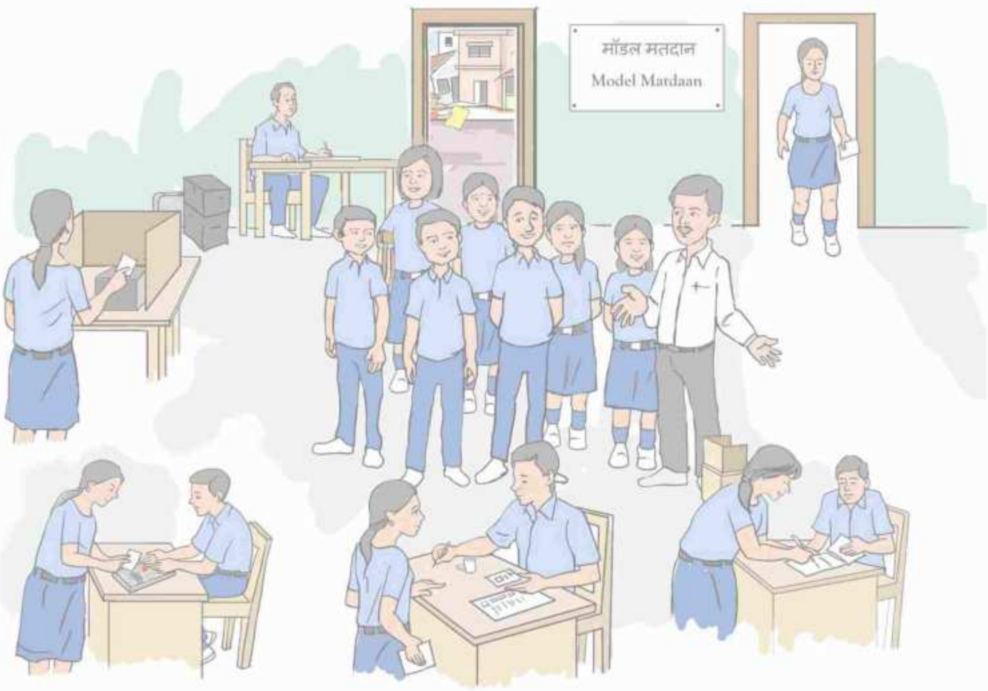

मॉडल मतदान

भूमिका एवं कर्तव्य

क) निर्वाचन अधिकारी

हर पद के लिए एक निर्वाचन अधिकारी होगा, जो नामांकन फॉर्म स्वीकारने, मतपत्र बनाने, चुनाव का संचालन करने व मतगणना और परिणाम की घोषणा करने के लिए जिम्मेदार होगा। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी निर्वाचन अधिकारी का सहयोग करेंगे।

कर्तव्य

(I) छात्रों को उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने के लिए आमंत्रित करना।

(ii) नामांकन पत्रों को जाँचना।

(iii) उम्मीदवारों की सूची को अन्तिम रूप देकर उसे अधिसूचना प्रारूप में प्रस्तुत करना।

(iv) मतपत्र बनाना।

(v) मतदान और गिनती के लिए अधिकारियों को तैनात करना।

(vi) मतदान और मतगणना की देखरेख करना।

ख) पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मी

पीठासीन अधिकारी पूरे मतदान केन्द्र और मतों की गिनती की देखरेख करेंगे। उन्हें मतदान और मतगणना के दिन तीन मतदान कर्मियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

कर्तव्य

(i) मतदान स्थल बनाना।

(ii) मतदान के समय मतदान संचालित करना।

(iii) मतदान स्थल को बंद करना और इस्तेमाल न किए गए मतपत्रों को जमा करना।

(iv) मतदान अधिकारी मतों की गिनती का संचालन पीठासीन अधिकारी की देखरेख में करेंगे।

(v) अपने मतदान केन्द्र के परिणामों को निर्वाचन अधिकारी को सौंपना।

ग) निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी

एक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी होंगे, जिनका सहयोग बूथ स्तर अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा।

कर्तव्य

(i) मतदाता पंजीकरण के लिए बूथ स्तर अधिकारी को पर्याप्त संख्या में फॉर्म उपलब्ध कराना।

(ii) अपनी कक्षा की निर्वाचक नामावली को अंतिम रूप देना।

(iii) निर्वाचक नामावली की एक कॉपी निर्वाचन अधिकारी को सौंपना।

घ) बूथ स्तर अधिकारी

हर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को बूथ स्तर अधिकारी सहयोग प्रदान करेंगे। एक बूथ स्तर अधिकारी कक्षा के एक हाउस (या उप समूह/पंक्ति) से हो सकते हैं।

कर्तव्य

(i) अपने वर्ग के छात्रों को पंजीकरण फॉर्म देना और वापस प्राप्त करना।

(ii) अपने वर्ग के लिए निर्वाचक नामावली बनाना।

(iii) मतदान के दिन मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं की सहायता करना (सारी सूचनाओं/निर्देशों के साथ)

कृ) उम्मीदवार

(I) यह जाँचना कि आपने उम्मीदवार बनने की पात्रता को पूरा किया है या नहीं। अगर मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं तो तुरन्त पंजीकृत होना।

(ii) नामांकन के समर्थन के लिए कम से कम 3 प्रस्तावक होने जरूरी हैं।

(iii) उम्मीदवार निर्धारित नामांकन फॉर्म में निर्वाचन अधिकारी के पास उम्मीदवार के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करेंगे।

(iv) समर्थकों से निर्वाचन अधिकारी के सामने नामांकन फॉर्म पर दस्तखत करवाना।

(v) एक बार आपका नामांकन प्त्र स्वीकृत हो गया, तो आपको अधिकृत तौर पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के रूप में मान्यता मिल जाएगी।

(vi) चुनाव प्रचार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार होगा।

चुनाव के लिए किए जाने वाले प्रचार में निम्नलिखित बातें हो सकती हैं–

- उम्मीदवारों के बीच वाद–विवाद श्रृंखला।
- विद्यालय परिसर में चुनाव के प्रचार के रूप में चाट्र्स, पोस्टर्स, बैनर्स, मॉडल आदि उपकरणों का प्रयोग।
- कक्षा के भीतर चुनाव प्रचार की फिल्मों, नारों, प्रचार गानों, भजनों और दूसरे प्रकार की दृश्य–श्रव्य विषय–वस्तु का प्रदर्शन।

चुनाव के लिए किए जाने वाले प्रचार में निम्नलिखित बातें शामिल नहीं होनी चाहिए–

(क) मत अपील के रूप में किसी भी प्रकार की जोर–जबरदस्ती या धमकी।

(ख) विद्यालय सम्पत्ति को हानि पहुँचाना। (जैसे– दीवार लेखन)

(ग) सार्वजनिक तौर पर विघ्न और बाधा पहुँचाना। (जैसे– तेज आवाज में स्पीकर्स, लेजर का प्रयोग)

(घ) किसी के समुदाय, धर्म, जाति, कुल, लिंग, आर्थिक स्थिति, वित्तीय संसाधनों/पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए इशारों में या स्पष्ट तौर पर कोई गलत बात करना।

(च) हिंसा के किसी भी कार्य में भागीदारी।

(छ) किसी भी तरह की रिश्वतखोरी या वित्तीय लेन–देन आचार संहिता के अनुकूल नहीं है।

(ज) मातृ राजनैतिक दलों/संस्थाओं से किसी भी तरह का समर्थन प्राप्त करना।

(झ) चुनाव कराने वाले प्राधिकरण के सदस्यों को किसी भी रूप में प्रभावित करने का प्रयास।

(ट) मतदाताओं को बहकाने या गलत सूचना देने का प्रयास।

(ठ) घृणात्मक भाषण का प्रयोग और सार्वजनिक रूप से प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों और दलों की छवि को धूमिल करने का प्रयास।

प्रारूप

मदाता पंजीकरण फॉर्म
अपना नाम पंजीकृत कराएँ

नाम ....

उपनाम ....

उम्र ....

लिंग ....

जन्मतिथि ....

श्रेणी / कक्षा ....

वर्ग ....

अनुक्रमांक ....

....

हस्ताक्षर

मतदाता सूची/निर्वाचक नामावली

निर्वाचन जिला– विद्यालय का नाम

निर्वाचन क्षेत्र – कक्षा और वर्ग

भाग–हाउस

क्रम संख्या	नाम	लिंग	अनुक्रमांक

नामांकन पत्र की क्र.सं. ....(निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरी जाएगी)

नामांकन फॉर्म

चुनाव का पद .... कक्षा.............................. वर्ग ....
विद्यालय/संस्थान ....

भाग–I

(उम्मीदवार के प्रस्तावकों द्वारा भरा जाएगा)

हम कक्षा .... वर्ग .... के निम्नलिखित व्यक्ति को चुनाव में .... पद के लिए नामांकित करते हैं।

उम्मीदवार का नाम ....

पिता/माता/संरक्षक का नाम ....

इनका नाम कक्षा .... वर्ग .... की निर्वाचक नामावली मतदाता सूची में क्र.सं. .... पर दर्ज है।

हम घोषणा करते हैं कि हम कक्षा .... वर्ग .... विद्यालय/संस्थान .... के निर्वाचक हैं। हमारे नाम निम्नानुसार निर्वाचक नामावली मतदाता सूची में दर्ज हैं और हम इस नामांकन हेतु अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं।

प्रस्तावकों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	अनुक्रमांक	मतदाता सूची में क्रम संख्या	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				

कृपया ध्यान दें : उम्मीदवार के वैध नामांकन हेतु कम से कम तीन प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है।

भाग–II

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा)

मैं ....(पूरा नाम) भाग 1 में वर्णित नामांकन विवरण के अनुसार उम्मीदवार हूँ और मैं घोषित करता हूँ कि :

- मैं विद्यालय/संस्थान की कक्षा .... वर्ग........................ का छात्र/की छात्रा हूँ।
- मेरा नाम मतदाता सूची में क्र. संख्या .... पर दर्ज है।
- मैं पूर्वोक्त विद्यालय/संस्थान की अधिकृत संस्था द्वारा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करता/करती हूँ तथा .... पद के चुनाव हेतु वांछित योग्यता रखता/रखती हूँ।
- फॉर्म के भाग–I में दिए गए मेरे सभी विवरण सत्य हैं।
- मैं निर्धारित चुनाव चिन्ह सूची के अनुसार वरीयता क्रम में निम्नांकित तीन चिन्हों के लिए निवेदन करता हूँ–

1. ....
2. ....
3. ....

दिनांक..........................

सीन.........................

....

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

भाग–III

(निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या ....

यह नामांकन मेरे समक्ष उम्मीदवार/प्रस्तावक ....

(प्रस्तावक का नाम) द्वारा .... (समय) दिनांक ....

को प्रस्तुत किया गया।

दिनांक ....

....

(निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर)

भाग–IV

(निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

नामांकन पत्र पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय

नामांकन पत्र के भाग–I में उल्लिखित पद के चुनाव हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नामांकन पत्र की जाँच करके मैं निम्नलिखित निर्णय करता हूँ–

नामांकन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत ....

नामांकन पत्र को अस्वीकृत करने के कारण :

....

....

....

....

दिनांक ....

....

उम्मीदवार/प्रस्तावक के प्रति हस्ताक्षर **निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर**

अधिसूचना

प्रतियोगी उम्मीदवारों की सूची

चुनाव क्षेत्र .... (कक्षा) में .... पद के लिए चुनाव

क्र.संख्या	उम्मीदवार का नाम	आवंटित चुनाव चिन्ह

स्थान ____________________

दिनांक____________________

____

(निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर)

नामांकन पत्र में दर्शाए गए नाम वर्ण क्रमानुसार लिखे जाएँगे।

निर्धारित चुनाव चिन्हों की सूची

1. हवाई जहाज
2. टोकरी
3. बल्ला 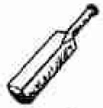
4. बल्लेबाज
5. श्यामपट 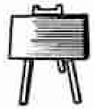
6. पुस्तक 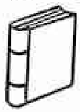
7. पुल 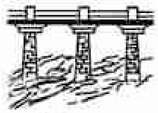
8. टेबल लैम्प
9. मोमबत्ती
10. पतंग
11. नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं)

मतपत्र का नमूना

1.	अभय	
2.	भावना	
3.	चन्द्रा	
4.	गौतम	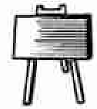
5.	हिना	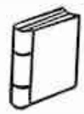
6.	जुगल	
7.	कीर्ति	
8.	प्रीति	
9.	तरुण	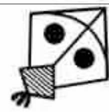
10.	नोटा	

संसाधन : मतपत्र निर्माण

मतपत्र का नमूना

1	AAA एएए	α
2	BBB बीबीबी	β
3	CCC सीसीसी	γ
4	DDD डीडीडी	δ
5	EEE ईईई	ε
6	FFF एफएफएफ	π
7	GGG जीजीजी	η
8	HHH एचएच	θ
9	III आइआइआइ	μ
10	JJJ जेजेजे	λ
11	KKK केकेके	σ
12	LLL एलएलएल	ϕ
13	MMM एमएमएम	#
14	NNN एनएनएन	ζ
15	OOO ओओओ	Ω
16	None of the above इनमे से कोई नहीं	NOTA

डमी चुनाव चिन्ह

पार्टी / निर्दलीय	चिन्ह
राष्ट्रीय दल (मान्यता प्राप्त)	क
	ख
	ग
	घ
	च
राज्य स्तरीय दल (मान्यता प्राप्त)	छ
	ज
	झ
	ट
दल (पंजीकृत)	ठ
	ड
	ढ
निर्दलीय	त
	थ
	द

मतपत्र और नोटा के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्देश

चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के नाम मतपत्र पर उसी क्रम में व्यवस्थित होंगे, जैसे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की नामों की सूची में।

निर्वाचन अधिकारी की हस्तपुस्तिका से सारांश

वैध ढंग से नामांकित उम्मीदवारों की सूची में नामों का प्रबन्धन आदि :

1. रीप्रेजेन्टेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के धारा 38 और फॉर्म–4 (वैध नामांकित उम्मीदवारों की सूची) और फॉर्म 7ए (चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची) के अनुसार उम्मीदवारों के नाम सूची में नीचे दी गई श्रेणियों के अन्तर्गत रखे जाएँगे–

   (I) पंजीकृत राष्ट्रीय दलों और संबंधित राज्य के राज्य–स्तरीय राजनैतिक दलों के उम्मीदवार;

   (ii) पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवार; और

   (iii) अन्य (निर्दलीय) उम्मीदवार।

   अतः उम्मीदवारों के नाम उक्त सूचियों में इसी क्रम में होने चाहिए तथा मतपत्र पर भी श्रेणियों के अनुसार समान क्रम में होने चाहिए। उपर्युक्त तीनों अलग–अलग श्रेणियों में नामों को वर्णमाला क्रम में रखा जाना चाहिए।

   फिर भी, उपर्युक्त उल्लिखित तीन श्रेणियों के शीर्षक, जो फॉर्म 4 और 7ए में दिए गए हैं, वे मतपत्र में नहीं लिखे जाने चाहिए।

2. वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की सूची, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और मतपत्र में नाम वर्णमाला क्रम में इन्हीं तीन श्रेणियों के अन्तर्गत रखे जाएँ, यह आपको निश्चित करना है। नाम वही लिखा जाएगा, जो उम्मीदवार ने लिखा है। उसी नाम के पहले अक्षर के आधार पर उम्मीदवार का नाम तय होगा– चाहे वह अक्षर उसके मूल नाम का हो या उपनाम/कुलनाम का। उम्मीदवार के नाम में यदि प्रथमाक्षर संक्षेप में लिखा है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अतः उम्मीदवार द्वारा दिया गया नाम यदि टी. के. रेड्डी है, तो उम्मीदवार का स्थान वर्णक्रम के अनुसार अक्षर र से तय होगा, न कि ट से।

3. फिर भी यदि समान श्रेणी में दो उम्मीदवारों के नाम समान हैं और प्रथमाक्षर अलग–अलग हैं, जैसे पी.एस. रेड्डी और टी.के. रेड्डी, तब दोनों नाम प्रथमाक्षर के अनुसार ही पहले अक्षर से सूची/मतपत्र में रखे जाएँगे। इसके अतिरिक्त यदि दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम समान और कुलनाम अलग हैं, तो उनका वर्णमाला क्रम कुलनाम से तय होगा।

4. सूची में उम्मीदवारों की सूची उनके वैधानिक नामों की वैधानिकता को वर्णमाला के क्रम में आयोग दवारा निर्धारित की हुई भाषा में व्यवस्थ्ति होनी चाहिए।

5. कण्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 22(3) और 30 (3) कहते हैं, कि यदि दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम एक जैसे हैं, तो उनके नाम के आगे उनके व्यवसाय या पते को जोड़कर या किसी और तरीके से उन्हें भिन्न बनाया जाएगा। इस तरह उनके नामों में अन्तर करके उन्हें वर्णमाला क्रम में वैध नामांकित उम्मीदवारों व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में तथा मतपत्र में रखा जाएगा।

6. उम्मीदवारों के नाम के आगे किसी भी तरह सम्मानप्रद, शैक्षिक, पैतृक, व्यावसायिक या कोई भी अन्य उपाधि जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु ये उपाधियाँ वैध नामांकित उम्मीदवारों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची या मतपत्रों में नामों को वर्णमाला क्रम में रखते समय ध्यान में नहीं रखी जाएँगी।

मतदान मशीन की मतदान इकाई के मतपत्र :

(I) यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 16 से अधिक होगी (नोटा सहित), है तो मतपत्र निर्धारित आकार के दो पन्नों (शीट) पर छापा जाएगा। इसी तरह अगर उम्मीदवारों की संख्या 32, 48...... से अधिक है तो क्रमशः तीसरा, चौथा, पाँचवा..... पन्ना (शीट) जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक उम्मीदवारों की संख्या (नोटा सहित) अधिकतम 384 न हो जाए।

(ii) इस स्थिति में जहाँ मतपत्र एक से ज्यादा पन्नों (शीट) में छापा जाता है, वहाँ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम क्रम संख्या 17 से 32 तक दूसरे पन्ने पर छापे जाएंगे, संख्या 33 से 48 तक तीसरे, और 49 से चौथे पन्ने पर छापे जाएंगे। यदि उम्मीदवारों की संख्या 32 से कम है, तो दूसरे पन्ने में अन्तिम उम्मीदवार के पैनल के के बाद वाली जगह खाली छोड़ दी जाएगी। इसी तरह से मतपत्रों के तीसरे और चौथे पन्नों के लिए भी होगा।

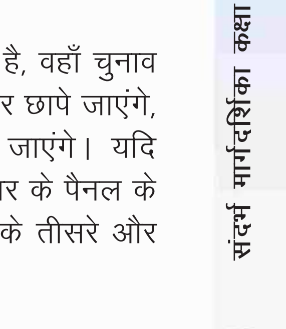

(iii) हर पन्ने पर, जहाँ चुनावों का ब्यौरा लिखने के लिए जगह दी जाती है, वहाँ पन्ने की संख्या बड़े शब्दों और अक्षरों में दिखाई जाएगी, जैसे शीट–1, शीट–2 आदि।

(iv) प्रतियोगी उम्मीदवारों के नाम उसी भाषा में छापे जाएँगे, जिसमें उक्त उम्मीदवारों की सूची बनाई गई है। उम्मीदवारों की क्रम संख्या भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में छापी जाएगी।

(v) उम्मीदवार की क्रम संख्या और नाम मतपत्र में बाईं ओर तथा उसका चुनाव चिन्ह उसके सामने दाईं ओर छापा जाएगा।

नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) :

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग ने ई.वी.एम./मतपत्र पर नोटा के विकल्प के प्रयोग हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं–

मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम और विवरण देने के बाद अंत में 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' लिखा जाएगा। यह विकल्प उन मतदाताओं की सुविधा के लिए है, जो मतपत्र की सूची में से किसी को भी मत नहीं देना चाहते। मतपत्र पर इस विकल्प के सामने नोटा का चिन्ह बना होगा।

ये शब्द उसी भाषा और आकार में लिखे जाएँगे, जिसमें उम्मीदवारों के नाम और अन्य विवरण हैं। नोटा वाले खाने का आकार भी वही होगा, जो उम्मीदवारों के नामों वाले खाने का है।

यदि किसी क्षेत्र में 16 उम्मीदवार हैं, तो वहाँ पहली मतदान इकाई के साथ नोटा के लिए दूसरी मतदान इकाई जोड़ी जाएगी।

इस प्रकार यदि एक से अधिक मतदान इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो 'उपर्युक्त में से कोई नहीं'(नोटा) का विकल्प अंतिम उम्मीदवार के नाम के बाद अंतिम विकल्प के रूप में दिया जाएगा।

संक्षिप्त नाम और शब्दावली

1. **आदर्श आचार संहिता :** यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विभिन्न दिशा–निर्देश हैं, जो चुनावों के दौरान राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यवहार से सम्बन्धित हैं। ये मुख्यतः भाषणों, मतदान के दिन, मतदान कक्ष, चुनाव घोषणापत्र, जुलूस और सामान्य व्यवहार के सम्बंध में हैं। आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना का ऐलान होते ही चुनावों को स्वतन्त्र और न्याय संगत बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता तत्काल ही प्रभावी हो जाती है।

2. **ई.आर.ओ. : निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी :** चुनाव क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसमें संशोधन के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से संबंधित राज्य सरकार के किसी अधिकारी को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में पदनामित/नामांकित करता है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अपने कार्य–क्षेत्र में आने वाले चुनाव क्षेत्र की निर्वाचक नामावली को बनाने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत होता है।

3. **ई.पी.आई.सी. : मतदाता फोटो पहचान पत्र :** यह निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा अपने अधीन आने वाले विधान सभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के पंजीकृत मतदाताओं को जारी किया जाता है। यह पहचान पत्र मतदान के समय संबंधित मतदाता की पहचान को प्रमाणित करने के लिए होता है।

4. **ई.वी.एम. : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन :** ई.वी.एम. एक मशीन है, जो चुनाव के दौरान निर्वाचकों द्वारा वोट दिए जाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें दो इकाइयाँ होती हैं– एक नियंत्रण इकाई (कण्ट्रोल यूनिट) और एक मतपत्र इकाई (बैलटिंग यूनिट)। मतदाता को मतपत्र देने के बजाय नियंत्रण इकाई का मतदान अधिकारी मतपत्र बटन दबाएगा। इसके बाद मतदाता मतपत्र इकाई पर अपनी पसन्द के उम्मीदवार और चुनाव चिह्न के सामने लगे नीले बटन को दबाकर अपना वोट दे सकता है।

5. **उम्मीदवार :** चुनावी भाषा में, उम्मीदवार वह व्यक्ति है, जो चुनाव लड़ रहा है।

6. **डी.ई.ओ. : जिला निर्वाचन अधिकारी :** निर्वाचन आयोग द्वारा जिला प्रशासन के प्रमुख (जिलाधिकारी, उपायुक्त या जिलाधीश) को उनके संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले या अधिकार क्षेत्र में

संसद, विधानसभा और निकायों की सभी निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और उनमें संशोधन के कार्यों की देखरेख करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदान केन्द्र बनानें, मतदान केन्द्रों की सूची और चुनावों के लिए निर्वाचन कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

7. **चुनाव :** औपचारिक निर्णय लेने की एक प्रक्रिया, जिसके द्वारा जनता शासन सँभालने के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है।

8. **चुनाव प्रचार :** एक प्रयास, जिसके द्वारा राजनेता या राजनैतिक दल लोगों को अपने हक में मतदान के लिए प्रेरित करते हैं।

9. **जनमत :** जनता से जुड़े किसी विशेष मुद्दे पर निर्वाचक वर्ग के सभी सदस्यों का सीधा वोट करना।

10. **जनमत संग्रह :** निर्वाचक वर्ग द्वारा किसी एक राजनैतिक सवाल पर सामान्य मतदान, जो कि सीधा निर्णय लेने के लिए उनके पास में आया है।

11. **दिव्यांग व्यक्ति :** यह मतदाताओं का वह समूह है, जो किसी शारीरिक विकलांगता से प्रभावित है और उन्हें विशेष सुविधा की आवश्यकता होती है।

12. **नामांकन :** उम्मीदवार का प्रस्तावित या औपचारिक रूप से चुनाव में दाखिल होना।

13. **निर्वाचक :** एक पंजीकृत व्यक्ति, जो चुनावों में मत देने के लिए पात्र है।

14. **निर्वाचक नामावली :** यह सामान्य रूप से मतदाता सूची कहलाती है। निर्वाचक नामावली चुनाव क्षेत्र में रहने वाले उन व्यक्तियों की सूची है, जो मान्यता प्राप्त मतदाता हैं। उचित प्रबंधन के लिए चुनाव क्षेत्र की निर्वाचक नामावली कई हिस्सों में विभाजित होती है, जिनमें अलग–अलग मतदान केन्द्रों के मतदाताओं का विवरण सम्मिलित है।

15. **निर्वाचन अधिकारी :** निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से सम्बन्धित राज्य सरकार के किसी अधिकारी को किसी चुनाव क्षेत्र में विधानसभा या संसदीय चुनाव कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदनामित/नियुक्त करता है ।

16. **निर्वाचन प्रक्रिया :** विभिन्न कार्यकलापों का एक क्रम, जो लोकतंत्र में निर्वाचन के लिए मतदाताओं, निर्वाचन कर्मियों, उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों और दूसरे हिस्सेदारों द्वारा किए जाते हैं।

17. **निर्वाचन में सहभागिता :** चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों में एक मतदाता, निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवार, राजनैतिक दल या लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार में किसी भी दूसरे हिस्सेदार के रूप में शामिल होना।

18. **निर्वाचन क्षेत्र :** वह क्षेत्र, जिसके मतदाता संसद/विधानसभा/निकाय के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं।

19. **नोटा : नन ऑफ द अबव :** यह 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' का विकल्प है। यह विकल्प अक्टूबर, 2013 से शुरू किया गया था। सभी ई.वी.एम. और मतपत्रों पर यह विकल्प होता है। यह उन मतदाताओं के लिए है, जो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते, पर अपने निर्णय को गुप्त रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग भी करना चाहते हैं।

20. **पीठासीन अधिकारी** : पीठासीन अधिकारी (मतदान अधिकारियों की मदद से) मतदान केन्द्र पर मतदान संचालित कराता है।

21. **पंचायत :** भारत में अब पंचायती राज एक शासन प्रणाली की तरह कार्य करता है, जिसमें से ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की मूलभूत इकाई है। इस प्रणाली के तीन स्तर हैं– ग्राम पंचायत (ग्रामीण स्तर), मंडल परिषद् या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर) और जिला परिषद् (जिला स्तर)।

22. **बूथ स्तर अधिकारी (बी.एल.ओ.) :** स्थानीय सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मचारी, जो स्थानीय निर्वाचकों से परिचित होते हैं और आमतौर पर उसी मतदान क्षेत्र के मतदाता होते हैं। वे अपनी सामान्य जानकारी का प्रयोग करके नामावली के नवीनीकरण में सहायक होते हैं। ये निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की देखरेख में क्षेत्र सत्यापन, निर्वाचकों से संबंधित सूचना, आँकड़ों का संग्रहण और अपने चुनाव क्षेत्र की निर्वाचक नामावली या उसके कुछ अंश को तैयार करने की जिम्मेदारी निभाते हैं।

23. **मतदाता पंजीकरण** : पात्र व्यक्ति को मान्यता प्राप्त मतदाता के रूप में नामांकित कराने की प्रक्रिया। (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित।)

24. **मतदान :** किसी मुद्दे या चुनाव में अपनी मर्जी या पसन्द के भाव को प्रकट करना।

25. **मतदान :** गुप्त मतदान की वह व्यवस्था है, जो भारत के राष्ट्रपति पद या उप

राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए लिखित मतदान द्वारा या लोकसभा और विधान सभा चुनावों के लिए मतदान मशीन द्वारा सम्पन्न की जाती है।

26. **मतदान केन्द्र** : यह एक कमरा/हॉल है, जो मतदान कराने के लिए निर्धारित किया जाता है, जहाँ संबंधित मतदान क्षेत्र के मतदाता मतदान के दिन अपना वोट डालने आते हैं। इसे मतदान कक्ष भी कहा जाता है।

27. **मतदान का अधिकार** : राजनैतिक चुनाव में मत देने का हक।

28. **मतपेटी** : एक सीलबंद बॉक्स, जिसमें मतदाता अपने पूरे भरे मतपत्रों को डालते हैं।

29. **मतपत्र** : एक कागज की पर्ची, जिसमें किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के नाम शामिल होते हैं। मतदाता मतपत्र को मतपेटी में डालने से पहले उस पर दिए गए अपनी पसन्द के उम्मीदवार के नाम के आगे निशान लगाता है।

30. **राष्ट्रीय मतदाता दिवस** : यह मतदाताओं, विशेष तौर पर युवा मतदाताओं का नामांकन बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मतदाताओं में निर्वाचन प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए भी इस दिन का उपयोग किया जाता है।

31. **राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (www.nvsp.in)** : यह एक वेबसाइट है, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई है। यह नागरिकों एवं मतदान कर्मियों को पंजीकरण से सम्बन्धित सेवाएँ प्रदान करती है।

32. **वीवीपीएटी.: वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल**– वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उनका मत उनके इच्छा के अनुरूप पड़ा है। जब कोई मत डाला जाता है, तो अभ्यर्थी के नाम, क्रम संख्या और प्रतीक वाली एक पर्ची मुद्रित होती है और 7 सेकेण्ड के लिए एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से दिखाई देती है। उसके बाद, यह मुद्रित पर्ची स्वचालित रूप से कट जाती है और वीवीपीएटी (वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।

33. **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार :** मत देने का हक सभी वयस्क नागरिकों को किसी भी जाति, वर्ग, रंग, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना दिया गया है।

34. **सी.ई.ओ. : मुख्य निर्वाचन अधिकारी :** एक सरकारी अधिकारी, जो निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों का प्रबन्ध करने, निर्देशन देने, चुनाव–प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने और राज्य की निर्वाचक नामावली की तैयारी, संशोधन व उसमें सुधार की देखरेख करने के लिए पदनामित होते हैं।

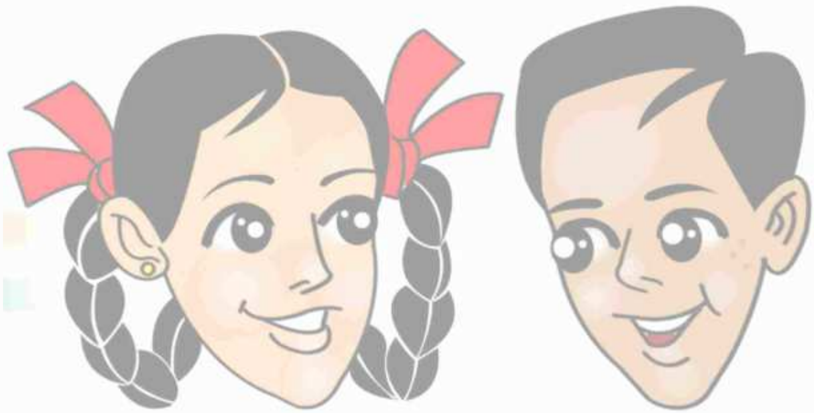

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

eci.gov.in / nvsp.in / ecisveep.nic.in

@ECI @ecisveep @ECIsveep